ओ आई एस सी (OISC) के बारे में सामान्य जानकारी

HINDI 2008

ओ आई एस सी

- हम इमिग्रेशन ऐंड असाइलम ऐक्ट (Immigration and Asylum Act)1999 के अंतर्गत स्थापित एक स्वतंत्र सार्वजनिक निकाय हैं।
- हम इमिग्रेशन एडवाइज़र्ज़ यानी अप्रवास पर सलाह देने वाले सलाहकारों का नियंत्रण करके यह सुनिश्चित करते हैं कि वो कार्यकुशल हैं और अपने ग्राहकों के अधिकतम हित में कार्य करते हैं।
- अगर किसी सलाहकार का संगठन किसी दूसरे तरीके से इस ऐक्ट यानी अधिनियम से सुरक्षित नहीं है, तो 30 अप्रैल 2001 से ओ आई एस सी से अपने संगठन को रजिस्टर यानी पंजीकृत किये बगैर या ओ आई एस सी सर्टिफ़िकेट ऑफ़ ऐग्ज़ैम्शन यानी छूट पाने का प्रमाण पत्र पाये बिना, किसी सलाहकार का इमिग्रेशन पर सलाह देना एक अपराध है।
- ओ आई एस सी नियंत्रण द्वारा इमिग्रेशन पर मिलने वाली सलाह और सेवाओं का नियंत्रण करती है।
- हम इमिग्रेशन और असाइलम यानी शरण पाने की व्यवस्था के बारे में मिलने वाली सामान्य जानकारी का नियंत्रण नहीं करते हैं।

इमिग्रेशन एडवाइज़र का पता कैसे किया जाये

- देशभर में ओ आई एस सी द्वारा मान्यता–प्राप्त सलाहकार आपको हमारी इस वैबसाइट पर मिल जायेंगे : http://www.oisc.gov.uk~~/adviser-finder/00-adviser-finder.asp~~

शिकायतें

- हम किसी भी इमिग्रेशन एडवाइज़र के खिलाफ़ की गयी शिकायतों को जाँच सकते हैं जिनमें सॉलिसिटर्ज़ जैसे खास पेशेवर समूह के सदस्य भी शामिल हैं
- शिकायत कोई भी कर सकता है
- सभी शिकायतों को गोपनीय रखा जायेगा

हम किसका नियंत्रण करते हैं

- ओ आई एस सी के सभी सलाहकारों को ओ आई एस सी के अपने सर्टिफ़िकेट यानी प्रमाण पत्रों का प्रदर्शन करना ज़रूरी है
- ऐसा करने के साथ– साथ, ओ आई एस सी का ग्लोबल टिक लोगो यानी दुनिया के नक्शे पर सही का निशान वाला पहचान का प्रतीक, यह दर्शाता है कि वह संगठन ओ आई एस सी द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति करता है

हम किसका नियंत्रण नहीं करते

- ओ आई एस सी सभी इमिग्रेशन सलाहकारों का नियंत्रण नहीं करती है
- किन्हीं खास पेशेवर निकायों के सदस्य और उनकी निगरानी में काम करने वाले लोग भी ओ आई एस सी के साथ बगैर रजिस्ट्रेशन के इमिग्रेशन पर सलाह दे सकते हैं।
  - ये पेशेवर निकाय निम्नलिखित हैं :

- द लॉ सोसायटी (The Law Society)
- द लॉ सोसायटी ऑफ़ स्कॉटलैंड (The Law Society of Scotland)
- द लॉ सोसायटी ऑफ़ नॉर्दन आयरलैंड (The Law Society of Northern Ireland)
- दी इंस्टिट्यूट ऑफ़ लीगल ऐग्ज़ेकेटिव्ज़ (The Institute of Legal Executives)
- द जनरल काउंसिल ऑफ़ द बार (The General Council of the Bar)
- द फ़ैकल्टी ऑफ़ ऐडवोकेट्स (The Faculty of Advocates), और
- द जनरल काउंसिल ऑफ़ द बार ऑफ़ नॉर्दन आयरलैंड (The General Council of the Bar of Northern Ireland)

5th Floor, Counting House, 53 Tooley Street, London SE1 2QN
T 020 7211 1500 T 0845 000 0046 F 020 7211 1553 E info@oisc.gov.uk

www.oisc.gov.uk

OISC
OFFICE OF THE IMMIGRATION SERVICES COMMISSIONER

OISC

OFFICE OF THE
IMMIGRATION SERVICES
COMMISSIONER